

न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखाण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 28/2024 (जी.सी.एम.एस. 2023/267)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. अजायब सिंह पुत्र सुरजन सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वी धनूर तहसील श्रीकरणपुर।		1. कुलवन्त सिंह पुत्र हग्नेक सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वी धनूर तहसील श्रीकरणपुर।
2. राजवीर सिंह पुत्र अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वी धनूर तहसील श्रीकरणपुर।		2. वेअन्त सिंह पुत्र हग्नेक सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वी धनूर तहसील श्रीकरणपुर।
3. सुखविन्द्र कौर पत्नी अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वी धनूर तहसील श्रीकरणपुर।		3. निर्मल सिंह पुत्र कुलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वी धनूर तहसील श्रीकरणपुर।
		4. पवनप्रीत सिंह पुत्र वेअन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वी धनूर जरिए मुख्यरिआम- वेअन्त सिंह पुत्र हग्नेक सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वी धनूर तहसील श्रीकरणपुर।
		5. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 28.02.2024

उपस्थित: 1. श्री मनीष जागिंड, श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादीगण

2. श्री प्रेम कुमार अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 4

—निर्णय—

दिनांक: 10.10.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 11 एस, पटवार मण्डल धनूर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 132/118 में कुल 0.688 हैक्टर नहरी भूमि वादी संख्या 3 के नाम से दर्ज है। चक 11 एस, पटवार मण्डल धनूर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 134/149 में कुल 9.104 हैक्टर नहरी कृषि भूमि वादीगण के नाम से दर्ज है। चक 11 एस, पटवार मण्डल धनूर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 15/13 में कुल 12.647 हैक्टर नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से दर्ज है। चक 11 एस, पटवार मण्डल धनूर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 58/57 में कुल 2.055 हैक्टर नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के नाम से दर्ज है। राजस्व अभिलेख में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से भूमि संयुक्त रूप से दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही गांव के, नजदीक जान पहचान वाले सदस्य है। उक्त कृषि भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य काफी समय पूर्व आपसी मौखिक बंटवारा किया हुआ था और उसी बंटवारा के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्सानुसार पिछले काफी समय से अपने रकबाजात पर काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण का बंटवारा के मुताबिक चक 11 एस के खाता संख्या 134/44 में मुरब्बा नं0 28 में 6.195 है0 नहरी कृषि भूमि एवं खाता संख्या 132/118 में मुरब्बा नं0 33 में किला नं0 24/4 में 0.044 है0, मुरब्बा नं0 60/22 में 0.051 है0 खाला, कुल 0.095 है0 खाला, खाता संख्या 15/13 में मुरब्बा नं0 27 में किला नं0 12 से 25 में रकबा 3.361 है0 नहरी, मुरब्बा नं0 60/22 में 0.051 है0 खाला कुल 3.412 है0 व खाता संख्या 58/57 में मुरब्बा नं0 33 में किला नं0 24/2 में 0.083 है0, किला नं0 25 में 0.227 है0, कुल 0.310 है0 नहरी सभी खातों में कुल रकबा 9.966 है0 नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि पर अजायब सिंह 3.099 है0, राजवीर सिंह 3.099 है0, सुखविन्द्र कौर 3.788 है0 संयुक्त रूप से शांतिपूर्वक, निरंतर, निर्बाध कब्जा काश्त चले आ रहे है और उक्त भूमि को वादीगण अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग कर रहे है। वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कृषि भूमि अलग-अलग खाता में एक दूसरे के नाम से दर्ज है और पक्षकारान का कब्जा काश्त अलग अलग खाता में है। इस कारण वादीगण को कई असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। वादीगण को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है और वादीगण कृषि भूमि को हिस्सा, टेका पर काश्त करवाने, पानी की वारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, अन्य अनुदान राशि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादीगण अपना वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर चक 11 एस के खाता संख्या 134/44 में मुरब्बा नं0 28 में 6.195 है0 नहरी कृषि भूमि एवं खाता संख्या 132/118 में मुरब्बा

- नं० 33 में किला नं० 24/4 में 0.044 है०, मुरब्बा नं० 60/22 में 0.051 है० खाला, कुल 0.095 है० खाला, खाता संख्या 15/13 में मुरब्बा नं० 27 में किला नं० 12 में 25 में रकबा 3.361 है० नहरी, मुरब्बा नं० 60/22 में 0.051 है० खाला कुल 3.412 है० व खाता संख्या 58/57 में मुरब्बा नं० 33 में किला नं० 24/2 में 0.083 है०, किला नं० 25 में 0.227 है०, कुल 0.310 है० नहरी सभी खातो में कुल रकबा 9.966 है० नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि पर ब्रजायव सिंह 3.099 है०, राजवीर सिंह 3.099 है०, सुखविन्द्र कौर 3.788 है० संयुक्त रूप में मुताबिक कब्जा काश्त व बंटवारा के अनुसार वादीगण को खातेदार घोषित किए जाने आदेश दिये जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जॉर्ग सम्पन्न तलव किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। सामिल मिसल किया गया। जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम के अनुसार चक 11 एस के खाता संख्या 15/13 में मुरब्बा नं० 16 में किला नं० 25/2 में 0.114 है०, मुरब्बा नं० 24 में 2.909 है०, मुरब्बा नं० 42 में 6.200 है०, मुरब्बा नं० 60/31 में 0.012 है० खाला कुल रकबा 9.235 है० नहरी मय गैरमुमकिन खाला कृषि भूमि व खाता संख्या 134/49 में मुरब्बा नं० 24 में 2.909 है० नहरी, खाता संख्या 132/118 में मुरब्बा नं० 33 में किला नं० 13/1 में 0.139 है०, 14 में 0.253 है०, 15 में 0.227 है० कुल 0.619 है० नहरी व खाता संख्या 58/57 में मुरब्बा नं० 24 में किला नं० 24 व 25 में 0.506 है० नहरी, मुरब्बा नं० 33 में किला नं० 16 में 0.227 है०, 17 से 20 में 1.012 है० कुल 1.745 है० नहरी सभी खातो में कुल रकबा 14.508 है० नहरी मय गैरमुमकिन खाला कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 कुलवन्त सिंह 6.226 है०, प्रतिवादी संख्या 2 वेअन्त सिंह 6.227 है०, प्रतिवादी संख्या 3 निर्मल सिंह 1.027 है०, प्रतिवादी संख्या 4 पवनप्रीत सिंह 1.028 है० संयुक्त रूप से मुताबिक कब्जा काश्त व बंटवारा के अनुसार प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित किया जावे। नकल जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम वादीगण अधिवक्ता को दिलाई गई। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा अनापत्ति जाहिर की। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बन्द किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर प्राप्त हुई। सामिल मिसल की गई। अधिवक्तागण के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज किया कि हस्तगत प्रकरण में वर्णित भूमि पक्षकारान की पारिवारिक सम्पत्ति है तथा पक्षकारान का अपनी सहूलियत से सम्पत्ति का विभाजन कर, कब्जा काश्त है तथा उसी के अनुसार ही एक-दूसरे के नाम से दर्ज करवा रहे है। इसलिए तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त रिपोर्ट में वर्णित देय राशि से पक्षकारों को राहत प्रदान करते हुए वादपत्र व काउन्टर क्लेम डिक्री किए जाने के आदेश दिए जावे।
3. बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने की ईशतदुआ की है। वादीगण के वादपत्र मय शपथपत्र, प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। प्रकरण में वादीगण को प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम व प्रतिवादीगण को वादीगण का वादपत्र स्वीकार है। लिहाजा वादीगण का वाद पत्र व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

--:आदेश:-

4. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण, प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 11 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 134/44 में मुरब्बा नं० 28 में 6.195 है० नहरी कृषि भूमि एवं खाता संख्या 132/118 में मुरब्बा नं० 33 में किला नं० 24/4 में 0.044 है०, मुरब्बा नं० 60/22 में 0.051 है० खाला, कुल 0.095 है० खाला, खाता संख्या 15/13 में मुरब्बा नं० 27 में किला नं० 12 से 25 में रकबा 3.361 है० नहरी, मुरब्बा नं० 60/22 में 0.051 है० खाला कुल 3.412 है० व खाता संख्या 58/57 में मुरब्बा नं० 33 में किला नं० 24/2 में 0.083 है०, किला नं० 25 में 0.227 है०, कुल 0.310 है०, कुल रकबा 9.966 है० नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि का खातेदार वादीगण अजायव सिंह (3.099 हैक्टेयर), राजवीर सिंह (3.099 हैक्टेयर), सुखविन्द्र कौर (3.788 हैक्टेयर) को व राजस्व ग्राम 11 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 15/13 में मुरब्बा नं० 16 में किला नं० 25/2 में 0.114 है०, मुरब्बा नं० 24 में 2.909 है०, मुरब्बा नं० 42 में

6.200है0, मुरब्जा नं0 60/31 में 0.012है0खाला कुल रकबा 9.235है0 नहरी मय गैरमुर्मकिन खाला कुषि भूमि व खाला संख्या 134/49 में मुरब्जा नं0 24 में 2.909है0 नहरी, खाला संख्या 132/118 में मुरब्जा नं0 33 में किला नं0 13/1 में 0.139है0, 14 में 0.253है0, 15 में 0.227है0 कुल 0.619है0 नहरी व खाला संख्या 58/57 में मुरब्जा नं0 24 में किला नं0 24 व 25 में 0.506है0 नहरी, मुरब्जा नं0 33 में किला नं0 16 में 0.227है0, 17 से 20 में 1.012है0 कुल 1.745है0 भूमि, कुल रकबा 14.508 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुर्मकिन खाला भूमि का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 कुलवन्त सिंह (6.226 हैक्टेयर), प्रतिवादी संख्या 2 वेअन्त सिंह (6.227 हैक्टेयर), प्रतिवादी संख्या 3 निर्मल सिंह (1.027 हैक्टेयर), प्रतिवादी संख्या 4 पवनप्रीत सिंह (1.028 हैक्टेयर) को घोषित किया जाकर उपयुक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। शेष खाला व रहन बटस्तर रहेगा। उपयुक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। डिक्ली पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पर्चा डिक्ली की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर वाट तकमील जावा याखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा होे।

{श्याोराम (आर.ए.एस)}
shf

सहायक कलक्टर एवं क्लर्क उपयुक्त/अधिकारी
उपकृत भूमि अधिकारी/सुनानार

{श्याोराम (आर.ए.एस)}
shf

सहायक कलक्टर एवं क्लर्क उपयुक्त/अधिकारी
उपकृत भूमि अधिकारी/सुनानार



निर्णय आज दिनांक 10.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरर इंगलास सुनाया गया।

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

अजायब सिंह आदि बनाम कुलवन्त सिंह आदि

धारा अन्तर्गत 88, 91, 92ए आरटीए

मुकदमा नम्बर 28/2024

निर्णय दिनांक :- 10.10.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई खबरु उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर व हाजरी वादीगण अधिवक्ता श्री मनीष जागिंड, श्री इन्द्राज सेजु, प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार उपस्थित होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 11 एस, पटवार हल्का धनूर, मृ.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 134/44 में मुरब्बा नं0 28 में 6.195 है0 नहरी कृषि भूमि एवं खाता संख्या 132/118 में मुरब्बा नं0 33 में किला नं0 24/4 में 0.044 है0, मुरब्बा नं0 60/22 में 0.051 है0 खाला, कुल 0.095 है0 खाला, खाता संख्या 15/13 में मुरब्बा नं0 27 में किला नं0 12 से 25 में रकबा 3.361 है0 नहरी, मुरब्बा नं0 60/22 में 0.051 है0 खाला कुल 3.412 है0 व खाता संख्या 58/57 में मुरब्बा नं0 33 में किला नं0 24/2 में 0.083 है0, किला नं0 25 में 0.227 है0, कुल 0.310 है0, कुल रकबा 9.966 है0 नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि का खातेदार वादीगण अजायब सिंह (3.099 हैक्टेयर), राजवीर सिंह (3.099 हैक्टेयर), सुखविन्द्र कौर (3.788 हैक्टेयर) को व राजस्व ग्राम 11 एस, पटवार हल्का धनूर, मृ.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 15/13 में मुरब्बा नं0 16 में किला नं0 25/2 में 0.114 है0, मुरब्बा नं0 24 में 2.909 है0, मुरब्बा नं0 42 में 6.200 है0, मुरब्बा नं0 60/31 में 0.012 है0 खाला कुल रकबा 9.235 है0 नहरी मय गैरमुमकिन खाला कृषि भूमि व खाता संख्या 134/49 में मुरब्बा नं0 24 में 2.909 है0 नहरी, खाता संख्या 132/118 में मुरब्बा नं0 33 में किला नं0 13/1 में 0.139 है0, 14 में 0.253 है0, 15 में 0.227 है0 कुल 0.619 है0 नहरी व खाता संख्या 58/57 में मुरब्बा नं0 24 में किला नं0 24 व 25 में 0.506 है0 नहरी, मुरब्बा नं0 33 में किला नं0 16 में 0.227 है0, 17 से 20 में 1.012 है0 कुल 1.745 है0 भूमि, कुल रकबा 14.508 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 कुलवन्त सिंह (6.226 हैक्टेयर), प्रतिवादी संख्या 2 बेअन्त सिंह (6.227 हैक्टेयर), प्रतिवादी संख्या 3 निर्मल सिंह (1.027 हैक्टेयर), प्रतिवादी संख्या 4 पवनप्रीत सिंह (1.028 हैक्टेयर) को घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। शेष खाता व रहन वदस्तूर रहेगा। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 10.10.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम {आर.ए.एस.}}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}

श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

श्री कलक्टर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	1450	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	1454	00	योग	04	00

{श्योराम {आर.ए.एस.}}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}

श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

श्री कलक्टर

